

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगाधोपुर (सीकर)

प्रदीप सिंह पुत्र महालसिंह वगैरे बनाम आशा कवर पत्नि महालसिंह वगैरे

किसम मुकदमा - विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर - 34/2025

169-25

संख्या 111
अहकाम के लिए
हुकम की तारीख
में जारी हुई

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर

16-09-2025

प्रार्थी की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एडवो ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 17.02.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश की गई थी। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अरथाई निपंधाजा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकगील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगाधोपुर (सीकर)

